राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1507/2017
ईश्वर सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य अभियंता, मुख्यालय, सह अतिरिक्त शासन सचिव, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी बिल्डींग, जेकब रोड़, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
3. सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी, सब डीवीजन–।, सूरतगढ, जिला गंगानगर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री जैद खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कार्य प्रभारी संवर्ग में बेलदार के रूप में दिनांक 19.06.1982 को हुई थी। अपीलार्थी को दिनांक 18.12.1987 से बेलदार के पद पर अर्द्धस्थाई घोषित किया गया। अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 01.01.1999 से स्थाई घोषित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आदेश दिनांक 07.06.1986 जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया कि बेलदारों की पदोन्नति योग्यता के आधार पर मुंशी के पद पर की गई है, ऐसी पदोन्नति फ्रेश अपोइंटमेंट मानी जाएगी। ऐसे श्रमिकों को पूर्व बेलदार के पद पर नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके फ्रेश अपोइंटमेंट के पहले की सेवाएं पेंशन एवं सीपीएफ कटौती हेतु निरंतर मानी जायेगी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी हायर सैकेण्डरी की योग्यता रखता है और उसकी योग्यता को देखते हुए अपीलार्थी की नियुक्ति मुंशी ग्रेड–।। के पद पर फ्रेश अपोइंटमेंट के रूप में दिनांक 08.08.1989 से कार्य कर रहा है। अतः अपीलार्थी 9 एवं 18 वर्षीय सेवाओं पर चयनित वेतनमान का लाभ मुंशी ग्रेड–।। के पद पर नियुक्ति की दिनांक 08.08.1989 से प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी

को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 08.08.1989 से दिया और अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ बेलदार के पद पर अर्द्धस्थायी होने की दिनांक 18.12.1987 से गणना करते हुए दिया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की मुंशी ग्रेड–।। के पद पर नियुक्ति परिपत्र दिनांक 07.06.1986 के आधार पर मानी जायेगी और अपीलार्थी को मुंशी ग्रेड–।। के रूप में नियुक्ति के पश्चात ही सेवा की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए था।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को बेलदार से मुंशी ग्रेड–।। के पद पर पदोन्नति दी गई थी, न की नई नियुक्ति थी। इसलिए अपीलार्थी को एक पदोन्नति प्राप्त करने के कारण 9 वर्षीय चयनित वेतनमान नियमानुसार देय नहीं है। अपीलार्थी को अर्द्ध स्थायी तिथि दिनांक 18.12.1987 से गणना करते हुए 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 24.03.2007 के द्वारा दिनांक 18.12.2005 से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है, जो कि पूर्णतः नियमानुसार है। जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना और नियमों का उल्लंघन नहीं है।
3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी पूर्व में कार्य प्रभारी कर्मचारी था। अपीलार्थी को बेलदार के पद पर 2 वर्ष की सेवा के पश्चात अर्द्धस्थाई घोषित किया गया था। बाद में अपीलार्थी की नियुक्ति मुंशी के पद पर की गई। अपीलार्थी को मुंशी के पद पर रहते हुए स्थाई भी किया गया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आदेश दिनांक 07.06.1986 जारी किया गया है, जिसमें मुंशी के पद पर की गई पदोन्नति को फ्रेश अपोइंटमेंट माने जाने का निर्णय है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि बेलदार के पद पर दी गई सेवाएं वरिष्ठता आदि लाभ के लिए गणना योग्य नहीं होगी। यह भी प्रकट हुआ है कि वित्त विभाग ने परिपत्र दिनांक 30.09.1998 जारी किया गया है, जिसके द्वारा कार्य प्रभारी कर्मचारियों से नियमित हुये कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। उक्त परिपत्र में निम्न प्रकार से प्रावधान रखा गया है:–

> ''यदि अर्द्धस्थाई घोषित करने के बाद किसी दूसरे पद पर, जो अर्द्धस्थाई पद का नियमित पदोन्नति पद नहीं है, नियुक्ति दी गई हो तथा ऐसी नियुक्ति पर उसे अर्द्धस्थाई घोषित पद के मूल वेतन की तुलना में अधिक मूल वेतन स्वीकृत किया गया हो तो उसकी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमानों के लिए क्रमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा की गणना

बाद में दी गई नियुक्ति की तारीख से की जावेगी तथा बाद में दी गई नियुक्ति वाले पद को आधार मानते हुए चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जावेंगे।''

5. अतः उपरोक्त प्रावधान से भी स्पष्ट है कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति को पदस्थापित किया गया है, जो नियमित पदोन्नति का पद नहीं है और ऐसी नियुक्ति पर उसे अर्द्धस्थाई घोषित पद के मूल वेतन की तुलना में अधिक मूल वेतन स्वीकृत किया गया है तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान के लाभ के लिए सेवा की गणना बाद में दी गई नियुक्ति की तारिख से की जायेगी। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को मुंशी ग्रेड–।। के पद पर पदस्थापित किया गया था, जो कि बेलदार के पद से अधिक वेतन का पद था। बेलदार से आगामी पदोन्नति मुंशी ग्रेड–।। के पद पर नहीं होती है, बल्कि बेलदार पद से आगामी पदोन्नति मेट के पद पर होती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त परिपत्र दिनांक 30.09.1998 के आधार पर अपीलार्थी को बाद में दी गई नियुक्ति तारीख अर्थात् मुंशी ग्रेड–।। के पद पर नियुक्ति की तारीख से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को मुंशी ग्रेड–।। के पद पर नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए समस्त चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाये।

6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)